

न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी, जरीडीह, जिला- बोकारो
नीलाम पत्र मुकदमा सं०- 29 / 2016-17

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, जैनामोड

बनाम

सर्टिफिकेट होल्डर

श्री नारायण कुमार साव -

अनुसूची - 14 फारम सं०- 563

सर्टिफिकेट डेपॉटर

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी करना ज्ञ साध
	प्रबंधक सह अधि्यानी पदाधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, जैनामोड के द्वारा देनदार श्री नारायण कुमार साव पिता अशोक कुमार साव ग्राम-गमनडीह पञ्चालय-पाथुरिया, थाना-जरीडीह जिला बोकारो के विरुद्ध बकाया राशि 30,460.00 रुपये वसूली हेतु पी०सी०आर० एक्ट के तहत प्रपत्र 2 में अधियाचना पत्र दाखिल किया है। साथ ही कोर्ट की 788/- 25% 2952 रूपया दाखिल किया है। जिसकी विवरणी निम्न है। Rs 27,508.00 + 2952.00 = 30,460.00 अधियाचना पत्र परिपूर्ण है। बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है। अतः देनदार को धारा 7 पी० डी० आर० एक्ट के अन्तर्गत विधीवत सूचना निर्गत करे। अभिलेख उपस्थित करे।	

नीलाम पत्र पदाधिकारी, जरीडीह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
23.11.17	अभिलेख उपस्थापित किया गया। देनदार श्री <u>नारायण कुमार साहू</u>, पिता <u>अजीत कुमार साहू</u> ग्राम <u>राधनदीह</u> को मो० 30460.00 रुपया ऋण राशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक <u>29.12.16</u> को उपस्थापित करें। निलाम पत्र पदाधिकारी जरीडीह।	
29.12.16	अभिलेख उपस्थापित। देनदार अनुपस्थित चेतावनी नोटिस जारी करें। अभिलेख दिनांक <u>24.06.17</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित निलाम पत्र पदाधिकारी जरीडीह निलाम पत्र पदाधिकारी जरीडीह	
17/03/23	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित बैंक को पत्र निर्गत करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन की मांग करें। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अभिलेख उपस्थापित करें। निलाम पत्र पदाधिकारी जरीडीह।	
28/03/23	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित बैंक से प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदन है कि देनदार के द्वारा ऋण की राशि जमा नहीं की गई है। देनदार को पुनः नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक <u>28/03/2023</u> को उपस्थापित करें। निलाम पत्र पदाधिकारी जरीडीह।	

28/03/2023

अभिलेख उपस्थापित।

कार्यालय कार्य में व्यवस्था रहने के कारण नोटिस निर्गत नहीं किया जा सका। पुनः नोटिस निर्गत करें।
अभिलेख दिनांक _____ को उपस्थापित करें।


नीलम पट्टाविहारी
अधीक्षक

07/02/24 अभिलेख उपस्थापित।

आवा प्रबंधक U. G. J. जेनासे के लिखित
उप से दूखि कितां अक्षर के राशि पूर्णतः
वसुल होकर अक्षर दाना बंद कर दी गयी
है। Certificate holder के आवेदन के
आधार पर Certificate case दाना को पता
है।


नीलम पट्टाविहारी
अधीक्षक।